संख्या– 3294 / 1–10–2010– 12(73) / 2009

प्रेषक,

के0 के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 15 सितम्बर, 2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में बाढ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी पर व्यय हुई धनराशि के भुगतान हेतु धनावंटन।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–736 / आपदा–2010, दिनांक 23.2.2010 के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 25 अगस्त 2010 में लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी पर व्यय हुई धनराशि रू0 28,91,970 / – (रूपये अटठाइस लाख इकानब्बे हजार नौ सौ सतर मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2008–09 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी पर व्यय हुई धनराशि के निमित्त व्यय की जायेगी।

5. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर **http/rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के0 के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या – 3224 (1)/1–10–2010–, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार–लेखा/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे राहत की वेबसाइट http/rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. राहत आयुक्त संगठन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मधु जोशी

( मधु जोशी )
उप सचिव